मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/288/365/2021/50-2 भोपाल, दिनांक 01/02/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ–साथ सतत् निगरानी करने, नवाचार गतिविधियों द्वारा बाल संरक्षण के विषयक में समुदाय को संवेदनशील तथा जागरूक करने, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन के लिये समुदाय एवं खण्ड स्तरीय समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLOCK CHILD PROTECTION COMMITTEE - BCPC) का निम्नानुसार गठन करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है

क्र.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	जनपद अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)	सह अध्यक्ष
3.	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस/ जहॉ अनुभाग नही है वहॉ संबंधित थाने का प्रभारी अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य–सचिव
5.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (जिला बाल संरक्षण अधिकारी, द्वारा नामित)	सदस्य
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित विकासखण्ड	कोषाध्यक्ष
7.	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9.	विकासखण्ड समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	सदस्य
10.	अध्यक्ष, पंचायत बाल संरक्षण समिति (एक सदस्य जनपद अध्यक्ष द्वारा नामांकित)	सदस्य
11.	श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक, जिला श्रम अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
12.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/ स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला) (अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित)	सदस्य
13.	दो बाल प्रतिनिधि (आयु 12 से 16 वर्ष एक बालक एवं एक बालिका) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित	सदस्य
	नोट :– समिति में निर्वाचित अध्यक्ष/ सदस्यों के बदलाव होने पर चयनित नव निर्वाचित प्रतिनिधि उक्त समिति के स्वतः ही सदस्य बन जायेंगे तथा उक्त नव निर्वाचित सदस्यों की समिति के गठन व संचालन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी व वस्तुस्थिति से अवगत कराने का दायित्व सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष की होगी।	

विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति अपने क्षेत्र में बाल मैत्री वातावरण निर्माण कर बाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

1. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा अपने क्षेत्र में देखेरख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों व जोखिम संभावित परिवारों की वस्तुस्थिति का आंकलन कर रिपोर्ट, जिला बाल संरक्षण इकाई/ स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रेषित करेगी। बच्चों की वस्तुस्थिति के संबंध में प्राप्त आंकडों के आधार पर ब्लॉक स्तरीय वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु साझा करेगी तथा कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुये इसका प्रभावी क्रियान्वयन विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा सुनिश्चित करेगी।
2. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा बच्चों के लिये कार्यरत मौजूदा संस्थाओं/ गृहों/ विद्यालयों/ आंगनवाडी केन्द्रों का सतत निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।
3. यह समिति बच्चों के प्रति भेदभाव, दुर्व्यहार, हिंसा व अत्याचार से संबंधित प्राप्त प्रकरणों में जॉचकर रिपोर्ट तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट मय अनुशंसा के साथ जिला बाल संरक्षणा इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करायेगी तथा समय–समय पर प्रकरण के संबंध आवश्यक प्रगति/ फॉलोअप सुनिश्चित करेगी।
4. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति की सतत बैठक करवाना सुनिश्चित करेगी तथा नियमित रूप से आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
5. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्य–योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
6. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का बाल संरक्षण मुददों, सरकारी योजनाये, कार्यक्रम एवं सेवाओं के संबंध में क्षमतावर्धन करेगी।
7. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा बाल अधिकारों के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये बाल मैत्री ग्राम निर्माण में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
8. उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। समिति एवं बाल संरक्षण के सम्बंध में समस्त पत्र – व्यवहार एवं आवश्यक मार्ग–दर्शन जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से ले सकेगी।
9. विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति प्रत्येक तीन माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करेगी।
10. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/ मान्य होगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों को अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

पृ.क्र./289/365/2021/50-2 भोपाल, दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
9. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त, म.प्र.।
10. कलेक्टर जिला समस्त, म.प्र.।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर आवश्यक निर्देश पंचायतों को जारी करने हेतु।
12. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग समस्त, म.प्र.।
13. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला समस्त, म.प्र.।
14. जनपद अध्यक्ष, सम्बंधित जनपद पंचायत, म.प्र.।
15. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)
16. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
18. बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित परियोजना
19. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित विकासखण्ड
20. चिकित्सा अधिकारी, सम्बधित विकासखण्ड
21. समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सम्बधित विकासखण्ड
22. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक सम्बधित विकासखण्ड
23. सम्बंधित अध्यक्ष/सदस्य सचिव/ कोषाध्यक्ष, विकासखण्ड बाल संरक्षण समिति, सम्बंधित पंचायत।
24. सम्बंधित सदस्य, विकासखण्ड, बाल संरक्षण समिति, सम्बंधित पंचायत।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग